प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.06.2025

स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक में खाता खुलवाकर सीधे-साधे लोगो के साथ धोखाधडी कर पैसे हडपने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 04 बैंक चैक बुक, 04 सिम कार्ड, 04 मोबाइल फोन व 05 डेबिट कार्ड बरामद ।

दिनांक 03.06.2025 को स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक खाता खुलवाकर सीधे-साधे लोगो के साथ धोखाधडी कर पैसे हडपने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण 1. अमित यादव पुत्र उमेश निवासी म0नं0 12, गली न0 01, विशन बिहार, चौहान पट्टी करावल नगर थाना सोनिया बिहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष, 2. विक्रमजीत शाह पुत्र बाशुदेव शाह निवासी गली नं0 07, राहुल गार्डन बहेटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता मेहनोया होमियो हाल, नेता जी सुभाष चंद्र रोड, मालदा प0 बंगाल उम्र करीब 27 वर्ष, 3. अजीत कुमार सिंह पुत्र विरेश प्रसाद सिंह निवासी गली नं0 5/4 राहुल गार्डन, बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम सलडीया जिला सहरसा बिहार उम्र करीब 24 वर्ष, 4. सुमित कुमार पुत्र टिटू कुमार गली नं0 07 राहुल गार्डन, बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम कालन्द, तहसील सरधना, थाना सरधना मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष को एसएम वर्ल्ड के खंडहर थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 04 बैंक चैक बुक, 04 सिम कार्ड, 04 मोबाइल फोन व 05 डेबिट कार्ड बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 318(4),319(2),336(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि चारों अभियुक्तगण आपस में मिलकर सीधे-साधे व्यक्तियों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैक में खाता खुलवाकर उनके खाते से पैसे फर्जी खातों में स्थानान्तरण कर ऑनलाइन धोखाधड़ी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमित यादव पुत्र उमेश निवासी म0नं0 12, गली न0 01, विशन बिहार, चौहान पट्टी करावल नगर थाना सोनिया बिहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।
2. विक्रमजीत शाह पुत्र बाशुदेव शाह निवासी गली नं0 07, राहुल गार्डन बहेटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता मेहनोया होमियो हाल, नेता जी सुभाष चंद्र रोड, मालदा प0 बंगाल उम्र करीब 27 वर्ष।
3. अजीत कुमार सिंह पुत्र विरेश प्रसाद सिंह निवासी गली नं0 5/4 राहुल गार्डन, बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम सलडीया जिला सहरसा बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।
4. सुमित कुमार पुत्र टिटू कुमार गली नं0 07 राहुल गार्डन, बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम कालन्द, तहसील सरधना, थाना सरधना मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 04 बैंक चैक बुक, 04 सिम कार्ड, 04 मोबाइल फोन व 05 डेबिट कार्ड बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का अपराधियों को स्पष्ट सन्देश– 'या तो अपराध छोडे या फिर जिला'– 23 जिला बदर अभियुक्तो को गाजियाबाद की सीमा से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद मे वर्ष 2025 मे अब तक लूट करना, घातक हथियारो से लैस होकर बलवा करना, हत्या का प्रयास करना, व्यपहरण, अमृत्यु या गम्भीर चोट के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना, गौकशी करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना, अवैध हथियार रखना, चोरी करना, लूट का माल बरामद होना, चोरी का माल बरामद होना, आपराधिक साजिश करना, आर्थिक नुकसान पहुँचाना, गाली–गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने आदि अपराधो मे लिप्त कुल 23 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

आज दिनांक 04-06-25 को गाजियाबाद पुलिस द्वारा सम्बन्धित अभियुक्तों के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग–डुगी बजवाकर उक्त 23 अभियुक्तों को 06 माह के लिए गाजियाबाद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया तथा चेतावनी दी गई कि उक्त 06 माह की अवधि खत्म होने से पूर्व जनपद मे मिलने पर गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।